कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25
नर्मदा नगर जिला खण्डवा (म.प्र.)

पत्र क्रमांक/ 1115 नर्मदा नगर, दिनांक : 07/06/2021

प्रति,

जिलाध्यक्ष महोदय,
जिला खण्डवा, म.प्र.

विषय :– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत **कोडवार 33 के.व्ही. ट्रांसमिशन लाईन पम्प हाउस 1 एवं पम्प हाउस 2** हेतु प्रभावित वन क्षेत्र **5.700 हेक्टेयर** का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन – अनुसूचित जनजाति और अन्य परामपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने विषयक।

संदर्भ :– 1. केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, दिल्ली का पत्र क्रं एफ–11–9/98–एफसी (पीटी) दिनांक 05–02–2013।
2. कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंधन) भोपाल का पृष्ठांकन क्रं एफ–11/भूप्र/882 दिनांक 07–03–2013।

निवेदन है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत नर्मदा विकास संभाग 25 नर्मदा नगर, जिला खण्डवा के अंतर्गत **कोडवार 33 के.व्ही. ट्रांसमिशन लाईन पम्प हाउस 1 एवं पम्प हाउस 2** हेतु प्रस्तावित है। इस परियोजना से कोडवार उद्धवहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाउस 1 एवं पम्प हाउस 2 को विद्युत प्रदाय की जावेगी जिससे खण्डवा जिले 13 ग्रामों में 3660 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। परियोजना में पानी इंदिरा सागर डेम के बेक वाटर से पानी लिफ्ट किया जाकर पाईप लाईन के जरिये ले जाया जावेगा। इस परियोजना में कुल **5.700** हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित होगी। जिसमें से खण्डवा जिले की **5.700** हेक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। खण्डवा जिले में प्रभावित होने वाला वनक्षेत्र **तहसील पुनासा के ग्राम बहमोरी एवं तहसील खण्डवा के ग्राम डोंगरगांव के** अंतर्गत आता है।

अतः निवेदन है कि उक्त **5.700** हेक्टेयर वन भूमि के संबंध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रिमिटिव ट्रायबल ग्रुप एवं प्री एग्रीकल्चर कम्युनिटीज के मूलभूत अधिकार प्रभावित न होने संबंधी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को प्रदाय करने का कष्ट करें।

वन क्षेत्र का विवरण संलग्न है।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।

कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग क्र. 25
नर्मदा नगर, जिला खण्डवा